न्यायालय आर्बिट्रेटर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर रेल परियोजना एवं संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सी0आर0मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, अजमेर)

परिवाद संख्या :–2020/00837/आर्बिटेशन/अजमेर

1. श्री यशवर्धन रावत उम्र लगभग 16 वर्ष पुत्र श्री कुलवन्त सिंह रावत
2. कुमारी डिम्पल रावत उम्र लगभग14 वर्ष पुत्री श्री कुलवन्त सिंह रावत
3. श्री केप्टन रावत उम्र लगभग 12 वर्ष पुत्र श्री कुलवन्त सिंह रावत निवासीगण मंगल के भट्टे के पीछे, कृष्णा कॉलोनी गढ़ी मालियान अजमेर जरिये इनकी प्राकृतिक श्री कुलवन्त सिंह रावत निवासी मंगल के भट्टे के पीछे कृष्णा कॉलोनी गढ़ी मालियान अजमर।

––परिवादीगण

बनाम

1. सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर।
2. मुख्य परियोजना प्रबन्धक कार्यालय डीएफसीसीआईएल एसपी (जीआरपी) के पास सर्कुलर रोड़, अजमेर।
3. श्री रामेश्वर उर्फ रमेश पुत्र श्री किशनलाल जाति हरिजन उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी मंगल के भट्टे के पीछे कृष्णा कॉलोनी गढ़ी मालियान अजमेर।
4. श्रीमती कमला पत्नी श्री किशनलाल निवासी मंगल के भट्टे के पीछे कृष्णा कॉलोनी गढी मालियान अजमेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20एफ6 रेल्वे संशोधन अधिनियम 2008

उपस्थितः–

1. श्री मान सिंह रावत, अभिभाषक–परिवादी
2. श्री मिलिंद भातोड़कर, अभिभाषक – अप्रार्थी संख्या–02

पंचाट/आदेश

दिनांक :– 26–07–2023

परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) अजमेर के द्वारा ग्राम थोक मालियान तहसील

अजमेर में स्थित भूमि अवाप्ति के बारे में अवार्ड दिनांक 27–10–2017 को पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। परिवादीगण के अभिभाषक अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अप्राथी संख्या 2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि परिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि थोक मालियान के खसरा नम्बर 8685 मिन राजस्व रेकार्ड जमाबदी में परिवादीगण के दादा श्री शंकर सिंह पुत्र श्री हजारी सिंह रावत के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के द्वारा किसी शिवशंकर श्रीवास्तव पुत्र श्री राजाराम आदर्श नगर अजमेर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7–11–2006 के द्वारा क्रय किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त खसरे को अवाप्त किया है व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को किया गया जिन्हे उक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने का कोई हक अधिकार नहीं है।

परिवादीगण ने न्यायालय से यह भी अनुतोष चाहा है कि खसरा नम्बर 8685 की मुआवजा राशि का गलत भुगतान अवैधानिक तौर से अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को कर दिया है वह वापस अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से वसूला जाकर प्रार्थी को दिया जाये। परिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष बतौर आर्बिट्रेटर प्रस्तुत किया है परन्तु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद का निस्तारण नहीं हो सकता है।

उनका यह भी तर्क है कि धारा 20(एच)(3) व (4) रेल्वे एक्ट 1989 के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

Where several person claim to be interested in the amount deposited under sub-section (1), the competent authority shall determine the persons who in its opinipn are entitled to receive the amount payble to each of them.

If any dispute arises as to the apportionment of the amount or any part thereof or to any person to whom the same or any part thereof is payable. the competent authority shall the dispute to the decision of the principal civil court of original jurisdiction within the limits of whose jurisdiction the land is situated.

इसका तात्पर्य यह है कि जहां कई व्यक्त उपधारा (1) के तहत जमा की गई राशि मे रूचि रखने का दावा करते है, सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों का निर्धारण करेगा जो इसके राय में उनमें से प्रत्येक को देय राशि प्राप्त करने का हकदार है। यदि राशि या उसके किसी भाग या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह राशि या उसका कोई भाग दे है, के बंटवारे के संबध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को निर्णय के लिए मूल क्षैत्राधिकार वाले प्रमुख सिविल न्यायालय को भेजेगा जिसके अधिकार क्षैत्र की सीमा के भीतर भूमि स्थित है।

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार ऐसे विवाद को सुनवाई का क्षैत्राधिकार बतौर आर्बिट्रेटर माननीय न्यायालय को नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण ने इन सभी विवादों के बाबत एक सिविल रिट पीटिशन नम्बर 16442/2018 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष भी उठा रखा है जिसका जवाब अप्रार्थी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। अतः उसी विवाद के बाबत इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और यह सम्पत्ति प्रार्थी संख्या 1 के दादा और प्रार्थी संख्या 2 के पिता ने पूर्व में श्री शिवशंकर श्रीवास्तव को बेची थी। उक्तानुसार माननीय न्यायालय को उक्त विवाद के निस्तारण का क्षैत्राधिकार नहीं होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की उक्त बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन कर सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट होते है कि परिवादीगण ने खसरा नम्बर 8685 की मुआवजा राशि का गलत भुगतान अवैधानिक तौर से अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को कर दिया है वह वापस अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से वसूला जाकर प्रार्थीगण को दिया जाने का निवेदन किया है। पत्रावली में उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7–11–2006 में खसरा नम्बर 8682 का अंकन है और सक्षम अधिकारी द्वारा भुगतान खसरा नम्बर 8685 मिन का किया है जो राजस्व रेकार्ड में कमला देवी पत्नी मंगल सिंह के नाम का है। ऐसी स्थिति में परिवादी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत नहीं होता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली में उपलब्ध अवार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा ग्राम थोक मालियान के खसरा नम्बर 8685 मिन का अवार्ड मुआवजा क्षतिपूर्ति एवं सोलेशियम राशि का भुगतान राशि रूपये 76514/– किया है तथा इसी खसरा नम्बर 8685 मिन रकबा 0.0142 का भुगतान कमला पत्नी किशनलाल एवं रामेश्वर लाल पुत्र

किशनलाल रेल्वे क्वार्टर को 1354360/–रूपये का भुगतान किया गया है। साथ ही प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में प्रार्थीगणों द्वारा एक सिविल रिट पीटिशन नम्बर 16442/2018 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष कर रखी है जिसमें निर्णय उपरान्त ही उसके अध्यधीन सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही संभव हो सकेगी। अत प्रार्थीगण का परिवाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पंचाट/निर्णय आज दिनांक 26–7–2023 को मध्यस्थ द्वारा पारित किया गया।

(सी0आर0मीना)
मध्यस्थ एवं
संभागीय आयुक्त,
अजमेर